

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: आईडीएसपी/कोरोना/2021/70

दिनांक: 12/04/2021

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
राजस्थान।

विषय:—इन्जेक्शन रेमडेसिविर के समुचित उपयोग बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है कि वर्तमान में कोरोना प्रकोप में निरन्तर अत्यधिक वृद्धि देखी जा रही है जो कि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। कोरोना से बचाव व नियंत्रण हेतु की जा रही विभिन्न गतिविधियों के क्रम में दवाओं का समुचित उपयोग किया जाना आवश्यक है। इन्जेक्शन रेमडेसिविर भर्ती एवं गम्भीर रोगियों के उपचार में काम में लिया जा रहा है। इस संदर्भ में कोविड रोगियों के उपचार में विशेष महत्व की दवा इन्जेक्शन रेमडेसिविर के समुचित उपयोग की महती आवश्यकता है। अतः निर्देशित किया जाता है कि इन्जेक्शन रेमडेसिविर के न्यायोचित उपयोग हेतु संलग्न प्रोफार्मा में सूचना ली जावे।

(सिद्धार्थ महाजन)

शासन सचिव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: आईडीएसपी/कोरोना/2021/

दिनांक:

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
3. निजी सहायक, मिशन निदेशक, (एनएचएम) एवं विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक निदेशक (जन स्वा0), मुख्यालय।
5. अति निदेशक (ग्रा0 स्वा0), मुख्यालय।
6. एसएनओ (आईडीएसपी) मुख्यालय।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन—राजस्थान।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।